

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10/2018 राजस्व अपील

1. अशोकसिंह }  
2. करणसिंह } पि० गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उदयपुरा  
3. अभिमन्यू } तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

## बनाम

1. राज० सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 24.11.2017 प्रकरण उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय बनाम अशोकसिंह वगैराह प्रकरण सं० 4/2017 अ० धारा 91 रा० भू० रा० अधिनियम

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।  
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 19.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने अपीलान्ट्स के विरुद्ध एक रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक अधिकारी दौसा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय में स्थित वन भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.00 है० पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक संरक्षक दौसा ने निर्णय दिनांक 24.11.2017 द्वारा अपीलान्ट्स को बेदखल करने व 500/- रुपये की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय फरमा दिया। न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का यह निर्णय विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सहायक वन संरक्षक दौसा ने अपीलान्ट्स को बिना समुचित सुनवाई, जवाब, साक्ष्य, जिरह व सबूत का अवसर दिये बिना ही एकदरफा में यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स के समक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी



डा० विकास कलक्टर  
दौसा

सिकराय ने न तो मौके पर जाकर भूमि का मौका देखा और ना ही मौका रिपोर्ट बनाई और ना ही अपीलान्ट्स को वन भूमि की कोई सीमा समझाई गई। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं हुआ है। अपीलान्ट्स को पूर्व में अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट्स अत्यन्त गरीब ग्रामीण व्यक्ति है। अपीलान्ट्स ने किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि रिहायश के लिये एक छोटा सा मकान बना रखा है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के निर्णय दिनांक 24.11.2017 को निरस्त करने की कृपा करे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय में स्थित वन भूमि खसरा नं० 378 रकबा 1.00 है० में पुख्ता मकान व तारबन्दी कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित वन भूमि से दिनांक 24.11.2017 को बेदखल कर 500/- रुपये की शास्ति अधिरोपित करने की सजा से दण्डित किया गया है। न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमी द्वारा स्वयं न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा में उपस्थित होकर मौखिक रूप से बताया गया है कि मेरे पास उक्त भूमि का कोई पट्टा नहीं है एव ना ही आवंटन है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वन विभाग की होना ही प्रमाणित है। अपीलान्ट्स ने स्वयं अंकित किया है कि उसने रिहायश के लिये छोटा सा मकान बना रखा है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत राजकीय वन भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 24.11.2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 04/2017 उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय बनाम अशोकसिंह वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2017 के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा